

बिहार सरकार  
पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

गोविन्द चौधरी,  
उप सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,  
बिहार।

पटना, दिनांक-05/6/2025

विषय:- बिहार पंचायत सेवा के प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारियों के प्रशिक्षण के संबंध में।

प्रसंग:- सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या-3454 दिनांक-28.02.2024 एवं विभागीय पत्रांक-6269 दिनांक-16.07.2024

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में कहना है कि सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या-3454 दिनांक-28.02.2024 द्वारा आयोग की अनुशंसा से सेवा में नियुक्त सरकारी सेवकों को परिवीक्षा अवधि में प्रवेशकालीन प्रशिक्षण की अवधि 01(एक)वर्ष निर्धारित की गयी है। एक वर्ष के प्रवेशकालीन प्रशिक्षण को निम्न चरणों में विभक्त किया गया है :-

2. (क) प्रथम चरण :- सभी सेवाओं/संवर्गों के लिए 02 (दो) माह का सांस्थिक अनुकूलन कार्यक्रम सेवा (Institutional Orientation Programme), जिसे बिपार्ड द्वारा आयोजित किया जायेगा।

(ख) द्वितीय चरण :- सभी सेवाओं/संवर्गों के लिए 03 (तीन) माह का सेवा से संबंधित विशिष्ट प्रशिक्षण, जिसे बिपार्ड द्वारा आयोजित किया जायेगा।

(ग) तृतीय चरण :- सभी सेवाओं/संवर्गों के लिए 06 (छः) माह का सेवा से संबंधित क्षेत्र सम्बद्धता (Field Attachment) प्रशिक्षण निर्धारित किया गया है, जिसके आलोक में बिहार पंचायत सेवा के प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारियों हेतु क्षेत्रीय प्रशिक्षण निम्नवत् निर्धारित किया जाता है:-

| क्र० | प्रशिक्षण कार्यक्रम       | प्रशिक्षण अवधि | अभ्युक्ति                                                                                                                             |
|------|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | कोषागार प्रशिक्षण         | 2 सप्ताह       | जिला स्तर (बिहार कोषागार संहिता के नियमों की जानकारी एवं कोषागार लिपिक एवं सहायक कोषागार पदाधिकारी के कार्यों का On the job निष्पादन) |
| 2    | जिला समाहरणालय (4 सप्ताह) | 2 दिन          | जिला नजारत                                                                                                                            |
|      |                           | 2 दिन          | राजस्व                                                                                                                                |
|      |                           | 2 दिन          | सामान्य शाखा                                                                                                                          |
|      |                           | 2 दिन          | आपूर्ति                                                                                                                               |
|      |                           | 1 सप्ताह       | जिला विकास शाखा                                                                                                                       |
|      |                           | 1 सप्ताह       | जिला लेखा कार्यालय                                                                                                                    |
|      |                           | 2 दिन          | परिवहन                                                                                                                                |
|      |                           | 2 दिन          | निर्वाचन                                                                                                                              |

|     |                                           |           |                                                                                                                                                |
|-----|-------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3   | मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,<br>जिला परिषद् | 2 सप्ताह  | विभाग द्वारा संचालित योजनाओं<br>एवं कार्यक्रमों का प्रशिक्षण<br>कार्यालय सहायक के रूप में।                                                     |
| 4   | जिला पंचायत कार्यालय                      | 2 सप्ताह  | विभाग द्वारा संचालित योजनाओं<br>एवं कार्यक्रमों।                                                                                               |
| 5   | जिला लोक शिकायत<br>निवारण पदाधिकारी       | 1 सप्ताह  | जिला लोक शिकायत निवारण<br>पदाधिकारी के साथ संबद्ध।                                                                                             |
| 6   | ग्राम पंचायत स्तरीय प्रशिक्षण             | 6 सप्ताह  | पंचायतों का पंचायत सचिव के<br>रूप में स्वतंत्र प्रभार।                                                                                         |
| 7   | प्रखंड कार्यालय                           | 8 सप्ताह  | प्रखंड विकास पदाधिकारी<br>(1 सप्ताह)/अंचलाधिकारी<br>(1 सप्ताह)/प्रखंड पंचायत राज<br>पदाधिकारी के कार्य निष्पादन<br>(6 सप्ताह) स्वतंत्र प्रभार। |
| कुल |                                           | 25 सप्ताह |                                                                                                                                                |

(घ) चतुर्थ चरण :- सभी सेवाओं/संवर्गों के लिए 01 (एक) माह का अंतिम सांस्थिक प्रशिक्षण, जिसे बिपार्ड द्वारा आयोजित किया जायेगा।

3. अतः उक्त के आलोक में जिला पदाधिकारी के नियंत्रण एवं मार्गदर्शन में जिला पंचायत राज पदाधिकारी इस प्रशिक्षण कार्य के लिए नोडल पदाधिकारी नामित होंगे, जो सुनिश्चित करेंगे कि संबंधित प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी उक्त निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नियमित तरीके से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। साथ ही जिला पंचायत राज पदाधिकारी प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारियों की सूची विभाग को अविलंब उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

4. बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसा प्राप्त होने पर प्रत्येक वर्ष नवनियुक्त प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारियों का प्रशिक्षण उक्त निदेश के आलोक में निर्धारित किया जायेगा, जबतक की विभाग द्वारा इस संबंध में कोई अन्य आदेश/निदेश निर्गत न किया जाय।

विश्वसिभाजन

(गोविन्द चौधरी)

उप सचिव

ज्ञापांक-1प/स्था-04-21/2018(छाया) 7115 / पं०रा०पटना, दिनांक 05/6/2024  
प्रतिलिपि:- सभी उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्  
/सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी/सभी अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला  
परिषद्-सह-अपर जिला पंचायत राज पदाधिकारी/सभी व्याख्याता/सभी प्रखंड पंचायत  
राज पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(गोविन्द चौधरी)

उप सचिव

21/7

क०प०उ०...

ज्ञापांक-1प/स्था०-04-21/2018(छाया).....7115...../पं०रा०पटना,दिनांक.....05/6/2025  
प्रतिलिपि:- महानिदेशक, बिपार्ड, पटना/सहायक निदेशक-सह-सत्र समन्वयक, बिपार्ड,  
गया/सभी संबंधित प्रशिक्षु नवनियुक्त प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं  
आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(गोविन्द चौधरी)

उप सचिव

ज्ञापांक-1प/स्था०-04-21/2018(छाया).....7115...../पं०रा०पटना,दिनांक.....05/6/2025  
प्रतिलिपि:-आईटीएमनेजर/प्रोग्रामर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को विभागीय  
वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(गोविन्द चौधरी)

उप सचिव